शिक्षा – विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ (20)आकाशि/पॉलिसी /निसं/2018/ 8 दिनांकः– 26/10/2017

निदेशक,
जन सम्पर्क विभाग,
जयपुर ।

विषयः– सत्र 2018–19 के लिए निजी महाविद्यालयों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथी की विज्ञप्ति बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संलग्न विज्ञप्ति को राजस्थान के दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर) के सभी संस्करणों में दिनांक 30.10.2017 को प्रकाशित कराने का श्रम करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति की 10 प्रतियां

भवदीय

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव
उच्च शिक्षा, राजस्थान

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ (20)आकाशि/पॉलिसी /निसं/2018/ 8 दिनांकः– 26/10/2017

विज्ञप्ति

शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु नवीन निजी महाविद्यालय प्रारंभ करने/ पूर्व संचालित महाविद्यालयों को TNOC में अभिवृद्धि/PNOC/ नवीन संकाय/ विषय/ नाम परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन/ सहशिक्षा अथवा कन्या महाविद्यालय सम्बन्धी परिवर्तन /स्थायी व अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय द्वारा वार्षिक शुल्क जमा करवाने के लिए **ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।** ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने की तिथियां निम्नानुसार होंगीः–

1 नवम्बर, 2017 से 30 नवम्बर, 2017 तक – सामान्य आवेदन शुल्क
1 दिसम्बर, 2017 से 29 दिसम्बर, 2017 तक – सामान्य आवेदन शुल्क +रूपये 25,000/– विलम्ब शुल्क

नोट

1.ऐसे पूर्व संचालित निजी महाविद्यालय जो TNOC अभिवृद्धि अथवा PNOC हेतु (पूर्व संचालित संकाय/विषय में) उपर्युक्त तिथि तक ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये वे महाविद्यालय पूर्व संचालित संकाय/विषय में TNOC अभिवृद्धि अथवा PNOC हेतु सामान्य आवेदन शुल्क + 25000/– रूपये विलम्ब शुल्क + 10000/– रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त विलम्ब शुल्क से 31 मार्च, 2018 तक आवेदन जमा करा सकेंगे।

2.पूर्व संचालित सभी निजी महाविद्यालयों को यह ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा चाहे उन्हें TNOC /PNOC की आवश्यकता नहीं हो।

इस हेतु आवेदक संस्था को कालेज शिक्षा विभाग की वेबसाईट (http://**.dce.rajasthan.gov.in)** के "NOC For Private Colleges" लिंक पर अथवा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की वेबसाईट (http://**hte.rajasthan.gov.in)** के "NOC For Private Colleges" लिंक पर क्लिक करना होगा। अधिक जानकारी के लिए इस विभाग की वेबसाईट **www.dce.rajasthan.gov.in** के "Act & Rules" के "Policies & Guidelines" लिंक पर देखें।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त, कालेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव
उच्च शिक्षा, राजस्थान